

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश:—

शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक: एफ-9 (6) प्राशि / 2023-00651 जयपुर दिनांक: 21.11.2025 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144-क के तहत अग्रलिखित स्थान हेतु की जाती है:-

SN	App Id	Candidate Name	Mul post	Mul Subject	Present posted Place	District	Name of NSCB(6-8)	Posting district	Subject
1	993	ANITA	Teacher Level-1	---	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LAKHAMANA (472283)	JAISALMER	NSCB DEVIKOT	JAISALMER	L-1

नोट :-

1. समस्त संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि चयनित शिक्षिकाओं द्वारा केजीबीवी साक्षात्कार विज्ञप्ति के साथ जारी शपथ पत्र 100/- रुपये के स्टॉम्प पर नोटेरी करवाकर प्रस्तुत करने पर ही कार्यमुक्त किया जावे एवं कार्यग्रहण अधिकारी द्वारा उक्त शपथ पत्र को जमा करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. जिन कार्मिकों को परियोजना में प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त हुए एक वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. ऐसी शिक्षिकाएं जिनकी नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत हुई है तथा उनका चयन शहरी विद्यालय हेतु हुआ है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
4. उक्त प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं का वेतन ब्लॉक के राजकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध आहरण किया जावेगा।
5. उक्त प्रतिनियुक्त/पदस्थापित शिक्षिकाओं को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होंगा।
6. उक्त चयनित शिक्षिकाओं को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
7. उक्त प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की नीति क्रमांक प. 19(12)शिक्षा-2/2020, जयपुर दिनांक 18.06.2020 तथा 30.08.2022 लागू होगी।
8. यदि किसी अध्यापिका की ड्यूटी बीएलओ/सहायक बीएलओ में लगी हुई हैं तो उन्हें निर्वाचन विभाग के द्वारा सुपुर्द कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जाये।

(सीता राम जाट)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं

पं.राज(प्रा.शि.) विभाग

राजस्थान, बीकानेर



प्रतिलिपि:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विद्यालय(शिक्षा/संस्कृत), पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर